

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
बंजरत भाग 173 बी. एन. एस. एस.

1. District	ACB DISTRICT	P.S.	C.P.S Jaipur	Year	2025
(जिला):		(थाना):		(वर्ष):	
2. FIR No.	0177	Date and Time of FIR	09/07/2025 19:09 बजे	(एफआईआर की तिथि/समय):	
(फ.सं.रि.सं.):					
S.No.	1	Acts	(अधिनियम)	Sections	(धाराएं)
(क्र.सं.)					
2	प्रधवार निवारण अधिनियम, 1988			13(2)	
3	प्रधवार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)			13(1)(b)	
4	प्रधवार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)			13(2)	

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):	1. Day(दिन): दरमियानी दिन	Date From	15/01/2015	Date To	18/06/2022
	(दिनांक से):	(दिनांक तक):			
Time Period	घर	Time From	10:00 बजे	Time To	14:30 बजे
(समय अवधि):		(समय से):		(समय तक):	
(b) Information received at P.S.	(थाना वहाँ सूचना प्राप्त हुई):	Date	09/07/2025	Time	17:00 बजे
	(दिनांक):			(समय):	
(c) General/Libary Reference	(रोजनामचा संदर्भ):	Entry No.	003	Date & Time	09/07/2025 19:09:56 बजे
		(प्रविष्टि सं.):		(दिनांक एवं समय)	
4. Type of Information (सूचना का प्रकार):	लिखित				
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):					
1. (a) Direction and distance from P.S.	SOUTH, 350 किमी	Beat No.			
(थाने से दिशा और दूरी):					
(b)Address(पता): RAJSAMAND					
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then					
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो)					
Name of P.S					
(थाना का नाम):					
District(State)					
(जिला (राज्य)):					

NOT APPLICABLE

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJEEV JOSHI
(b) Father's Name (पिता का नाम): T.K.JOSHI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 30/11/1967
(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी नं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट नं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण) (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारंपत्र, आधार कार्ड, वोटिंग आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. Name (क्र.सं.) (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1 RAJENDRA LALS		पिता:CHANDEEDAN LALS	1. B-440,MOHAN NAGAR BJS COLONY,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण) यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नक्की करें):

S.No. Property Category (क्र.सं.) (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु. में))
1 निम्न और मुद्रा	कपड़े		29,74,073.00

10. Total value of property stolen (in Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

:((५ ५) मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.केस नं., यदि कोई हो):

12. First information contents (Attach separate sheet, if necessary)

[illegible]

महोदय, बालिकथान मामला इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2022 को परिवारवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी द्वारा कायस्थिय अधिवार निरीक्षक ब्यूरो, राजसमंद पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर श्री अर्जुनसिंह, पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम रैप कायदावादी की गई, आरोपी श्री राजेन्द्र लाल, लकालीन मद्रासक छत्ति अभियन्ता (सर्वकाल) राजसमन्द द्वारा लोकासेवक होते हुए अपने वैद्य परिवर्धनिक के अलावा पटौय कायू करने में श्रद्ध एवं अवैध तरीके से परिवारवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी से उसके टंकडा छुट्टे (राजसमन्द) स्थित उसके निहो केसर प्लांट/मार्जिन को मुवाकफ से चलने देने व निरीक्षण के दौरान रोकट, काटा, पर्वी को लेकर नारायण परेशान नहीं करने तथा निहो के डम्पर नहीं रोकने की एवज से दिनांक 17.06.2022 को हुई मांग समायोजन वाला के दौरान स्थित रंगी 1,00,000 रुपये का फिफ्टी परसेन्ट के हिसाब से प्रथम निश्चय के रूप में 50,000 रुपये की व्यवस्था कर शायम तक मकान पर लोकर देने की को कहना, शायम की आरोपी के मकान पर नही होने से आरोपी द्वारा परिवारवादी को अगले दिन सुबह बुलाना तथा मांग अनुसार दिनांक 18.06.2022 को आरोपी श्री राजेन्द्र लालस द्वारा उसके कालिन्दी विहार कालोनी स्थित निराय के मकान पर परिवारवादी श्री प्रहलाद नारायण जोशी से फिफोपक्षीन

प्राउडर लगी पिछवत राशि 50,000 रुपय देवल पर बिछे हुए देवल पाश (देवल पर बिछे हुआ कपड़ा) पर रखवाकर सहेल
 किये, जहाँ से 50,000/- रुपय पिछवत राशि को बरामद किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र
 लाल के बिच्छू जर्म अन्तर्गत धारा 7 अन्तर्गत निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रमाणित पाया जाने
 पर प्रकरण संख्या 246/2022 धारा 3 परीक में दर्ज हुआ। श्री अनूप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, अजमेर, जिला राममनन्द
 (टी.एल.ओ.) ने दिनांक 18.06.2022 को दूध काढ़वाही के दोरान ही आरोपी श्री राजेन्द्र लाल के पिछवत आवास के पिछे
 का मकान (Kachra मंजिल) स्थित कालिन्दी बिहारे कालानी काकोले, जिला राजसमंद की खाना तलाशी ली जाकर फट्टे
 मुर्तिब की गड्डा खानातलाशी में मिली घरेलू उपयोग वस्तुओं यथा टी.वी., फ्रीज, सौफा, फर्नीचर आदि की अनुमानित कीमत

खानातलाशणी फट्टे के अगुसारा लगभग 1,50,000 रुपये आकी गई। इसके अलावा फट्टे खाना तलाशणी के अगुसारा आरपी के आवास से नकद राशि कुल 1,35,000 रुपये प्राप्त हुई है जिसके ब्यौटे लिया गया था। खाना तलाशणी के दोरान आरोपी के बिरोध के मकान के बाहर गैर टायोटा फॉर्च्युनर गाडी सफ़द कनर की नंबर आर.जे. 19 यू.सी. 3397 थी पायी गई जिसकी खिना जोधपुर के के नाम थी। उक्त वाहन की कीमत, इन्सुरेंस, आरटीओ शुल्क के साथ 32,14,085/- रुपये है। खाना तलाशणी रिपोर्ट के अगुसारा उक्त वाहन काचवाडी दिनांक तक 78967 किलोमीटर चल चुका हुआ था, जिसके अगुसारा पेट्रोल व खरचबाब पर खर्च अनुमानित राशि 6,30,000/- रुपये एवं काचवाडी दिनांक तक इन्सुरेंस पर खर्च कुल अनुमानित राशि 6,00,000/- रुपये है। इस प्रकार वाहन टायोटा फॉर्च्युनर, रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.-19-यू.सी.-3397 पर कुल व्यय राशि

44.44/085/-क्यू हर्ड। श्री राजन्द लालस की प्रथम नियुक्ति सहायक खान आदेश पृ.2 (2) खान/गु-1/2013 दिनांक 30.12.2014 से निदेशालय उदयपुर में हर्डेा जिसकी पालना में आरोपी द्वारा दिनांक 15.01.2015 को निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राज. उदयपुर पर उपस्थिति दी थी। प्रपत्र - "अ" आरोपी श्री राजन्द लालस सहायक खान अभियंता, (सतकर्ता) खनिज विभाग, राजसमन्द के द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 15.01.2015 से पूर्व अर्जित की गयी सम्पत्ति - क. स. विवरण कीमत -शून्य- प्रपत्र - "ब" आरोपी श्री राजन्द लालस तत्कालीन सहायक खान अभियंता, (सतकर्ता) खनिज विभाग, राजसमन्द द्वारा बैंक अवधि तक अर्जित की गई सम्पत्ति - क. स. विवरण कीमत (क्यू) 1 आरोपी श्री राजन्द लालस के निराशे के मकान स्थित कालिंदी विहार, कांकरोली जिला

राज्यसमिति की खानाबलाश्री के दौरान मिल सामानों की कुल कीमत- 1,50,000 रुपये, 1,50,000 2 आरोपी के पसवर्वाइयों के खानाबलाश्री के दौरान मिल सामानों की कुल कीमत- 61271800435 में दिनांक 18-6-2022 तक जमाशेष - 5,32,983 3 आरोपी श्री राजेंद्र लाल के किराये के मुकाम स्थित कालिंदी विहार, कांकोली जिला राजसमद की खानाबलाश्री के दौरान आरोपी श्री राजेंद्र लाल के किराये के मुकाम स्थित कालिंदी विहार, कांकोली जिला राजसमद की खानाबलाश्री के दौरान आरोपी श्री राजेंद्र लाल की पत्नी श्रीमती शर्मिष्ठा देवा के नाम से नंदन बैंक ऑफ इंडिया में खाता संख्या 00000002014802642 का अंतिम शेष 81,745 5 बाह्य टोयोटो फाय्न्सियर, रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 19-यू.सी.-3397 पर कुल व्यय राशि 44,44,085/- रुपये 44,44,085 कुल योग 53,43,813 रुपये - "स" आरोपी श्री राजेंद्र लाल वत्कलीन सहजक खाना आश्रयता, (मनकला) खाना विभाग, राजसमद के द्वार बैंक अकाउंट में प्राप्त की गयी

आय - क.सं. विवरण राशि 1 आरोपी की अपने सेवाकाल के दौरान सकल वेतन के रूप में 54,18,132 रुपये प्राप्त हुए।

विसर्ग से सम्बन्ध कटौतियाँ 7,25,948 रुपये की घटने के पश्चात् शुद्ध वेतन के रूप में 46,92,184 रुपये प्राप्त हुए।

46,92,184 कुल योग - "द" आरोपी श्री राजेन्द्र लालस सहृदयक खनि अभियन्ता, (सर्वकर्ता)

खनिज विभाग, राजसमन्द के द्वारा बैंक अवधि में किया गया व्यय - क.सं. विवरण कीमत 1 आरोपी को उसकी सेवाकाल के

दौरान शुद्ध वेतन के रूप में 54,18,132 रुपये की आय प्राप्त हुई है जिसमें से आयकर राशि 1,12,743/- घटकर शेष राशि

की 1/3 राशि 17,68,463 रुपये का असत्यापित व्यय 17,68,463 2 आरोपी के मोबाइल फोन पर हुआ अनुमानित व्यय

20,000 3 आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के द्वारा सिरोही एवं कान्कारोली जिला राजसमन्द में किराये पर निवास करते हुए।

किराये के रूप में कुल किया गया भुगतान - 5,34,000 कुल योग 23,22,463 इस प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र लालस के द्वारा

आलोक्य अवधि दिनांक 15.01.2015 से दिनांक 18.06.2022 (द्वैय दिनांक) तक कुल परिसम्पत्तियाँ 53,43,813/- रुपये

एवं व्यय राशि 23,22,463/- रुपये की जोड़ने पर कुल 76,66,276/- रुपये की कुल परिसम्पत्तियाँ अर्जित की है। उक्त

अवधि में आरोपी की राजकीय सेवा से कुल 46,92,184/- रुपये की आय प्राप्त हुई है। उक्त आय 46,92,184/- रुपये में से

कुल परिसम्पत्तियाँ की राशि 76,66,276/- रुपये को घटायें जाने पर परिसम्पत्तियाँ पर 29,74,092/- रुपये की राशि

अधिक व्यय आई जो आरोपी की राजकीय सेवा से प्राप्त आय से 63.38 प्रतिशत अधिक राशि है। आरोपी श्री राजेन्द्र लालस,

तत्कालीन सहृदयक खनि अभियन्ता, (सर्वकर्ता), खनिज विभाग, जिला राजसमन्द द्वारा बैंक पीरियड के दौरान कुल आय से

अधिक की संपत्ति अर्जित करना पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध जर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई), 13 (2) अधिनियम 1988 में प्रथम दृष्टया

अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया

प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र लालस जाति चारण, उम्र 38 वर्ष, निवासी बी-

440, मोहन नगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर तत्कालीन सहृदयक खनि अभियन्ता (सर्वकर्ता), खनिज विभाग, राजसमन्द के

विरुद्ध जिला नवरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में सादर प्रेषित है। (राजीव जोशी) अधिरक्षक पुलिस

अधीक्षक, अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया

उपरोक्त राईटिंग्स जिला नवरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रेषित है। (राजीव जोशी) अधिरक्षक पुलिस

स्वयं प्रीत उदयपुर में प्रेषित की है मजसूम रिपोर्ट से जर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई), 13 (2) अधिनियम 1988

अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री

राजेन्द्र लालस पूर्य श्री चण्डीदान लालस जाति चारण, उम्र 38 वर्ष, निवासी बी-440, मोहन नगर बीजेएस कॉलोनी

जोधपुर तत्कालीन सहृदयक खनि अभियन्ता (सर्वकर्ता), खनिज विभाग, राजसमन्द के विरुद्ध प्रतीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकांसी श्री रतनसिंह राजपुरोहित, उय पुलिस

अधीक्षक, अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री

अधिक है। (डॉ. पारं लाल शिवराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988

13 दिनांक 09.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:- 1. विविध न्यायाधीश एवं सेशन

न्यायालय, अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री

जयपुर। 3-उय महीनरीक्षक, अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री

स्वयं प्रीत उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, अधिनियम 1988 व 13 (1) (बी), 13 (2) अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्रवाई: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने की वरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Ratan Singh

Rank

(पद):

Rajpurohit

उय अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

(जाँच अधिकांसी का नाम):

No(सं.):

to take up the investigation (की जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I/एकीकृत जाँच फार्म-I

District (जिला):

(4) Transferred to P.S.(थान):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रामाणिकी पत्र कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की तिथि और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No(सं.):

Signed by: Pyare Lal Shivan
Location: Rajasthan, IN
Date: 09/07/2025 19:55:53

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (if known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-1/एकीकृत जाँच फार्म-1

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	Male	1987	4	5	6	7
8	Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशेषताएँ)	9	10	11	12	13
14	Language /Dialect (भाषा/दोषी)	15	16	17	18	19
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (खल रोग)	Mole (मसूर)	Scar (शर)	Tattoo (गुँदे हुए का)	Others (अन्य)
						20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)